



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022023-243725
CG-DL-E-18022023-243725

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733]
No. 733]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 763(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः—

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज/लंबाई किमी में (3)
244	नशरी – बटोटे – पटनीटाप - चेनानी (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में)	40.00 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/1/2023-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 763(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
244	Nashri- Batote- Patnitop- Chenani (In the UT of Jammu and Kashmir)	40.00 km

[F. No. NH-14013/1/2023-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन उक्त सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. (1)	खंड (2)	लंबाई किमी में (3)
"444	काजीगुंड – जवाहर सुरंग - बनिहाल (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में)	35.00 किमी"

[फा. सं. एनएच-14013/1/2023-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 764(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

New National Highway number	Section	Length in kilometers
(1)	(2)	(3)
“444	Quazigund- Jawahar Tunnel- Banihal (In the UT of Jammu and Kashmir)	35.00 kms”

[F. No. NH-14013/1/2023-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 765(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 31 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

“31	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए [किमी 0.00 से किमी 286.000 और किमी 303.800 से किमी 534.250 तक खंड को छोड़कर], सं. 1सी, नई रारा सं. 144, नई रारा सं. 444 [काजीगुंड – जवाहर सुरंग – बनिहाल (35.00 किमी) तक खंड को छोड़कर] और नई रारा सं. 501 के उतने भाग जो कि क्षेत्र जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित हैं।	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार।”
-----	---	---

[फा. सं. एनएच-14013/1/2023-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 203(अ), तारीख 12 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 765(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 31 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“31	So much of new National Highway No. 1A (excluding from km. 0.00 to km. 286.000 and from km. 303.800 to km. 534.250), No. 1C, new NH No. 144, new NH No. 444 [(excluding Quazigund-Jawahar Tunnel- Banihal section (35.00 km))] and new NH No. 501 as is situated within the UT of Jammu and Kashmir.	Government of UT of Jammu and Kashmir”

[F. No. NH-14013/1/2023-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 203 (E), dated the 12th January, 2023.